भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या991

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाया जाना

†991. डॉ0 संजय सिंहः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांग्लादेश सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए बाड़ लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है; और क्या सरकार द्वारा इस कार्य के लिए कोई समय सीमा तय की गई है; और

(ड.) सरकार घुसपैठ रोकने के लिए क्या अन्य उपाय कर रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर दो चरणों के तहत 3326.14 किमी. की लंबाई में बाड़ लगाने की मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के चरण-। को वर्ष 2000 में पूरा किया जा चुका है जिसके अधीन 854.35 किमी. की लंबाई बाड़ लगाई गई थी। चरण-।। के अधीन 1973.572 किमी. की लंबाई में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग): उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ): चरण-। के अधीन बाड़ तथा सड़कों के निर्माण के लिए 1059 करोड़ रु. का व्यय किया गया। सरकार ने चरण-।। परियोजना के अधीन 4393.69 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 2468.77 किमी. की लंबाई में बाड़ लगाने और 1512.68 किमी. की लंबाई में सड़कों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। चरण-।। परियोजना को 31.03.2014 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि, संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब, जन विरोध, वन/वन्यजीव क्लीयरेंस में विलंब, दुर्गम स्थलाकृति, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दीर्घकालिक मानसून मौसम आदि के कारण यह कार्य लक्ष्य से आगे बढ़ गया है।

(ड.): भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:-

- **गश्त नाका (सीमा पर घात) द्वारा सीमाओं की चौबीसों घंटे चौकसी और संपूर्ण भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी चौकी स्थापित करके सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा सीमा पर प्रभावी आधिपत्य बनाए रखना।**
- **सीमा सुरक्षा बल के जल-विंग के जलयानों/स्पीड बोट्स/फ्लोटिंग बार्डर आउट पोस्ट (सीमा चौकी) की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित नदी वाले क्षेत्रों में गश्त लगाई जा रही है और वहां आधिपत्य रखा जा रहा है।**
- **बाड़, गश्ती सड़कों, फ्लडलाइटिंग सिस्टम और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण।**
- **सीमा पर आधिपत्य को और बढ़ाने के लिए दिन और रात्रिकालीन दृश्य उपकरणों के साथ उच्च-तकनीक वाले निगरानी उपकरण का उपयोग किया जा रहा है।**
- **सीमाओं पर अवैध प्रवास/मानव तस्करी के संबंध में संवेदनशील सीमा चौकियों (बीओपी) की सुभेद्यता का मापांकन किया गया है। अतिरिक्त जनशक्ति तैनात कर, विशेष निगरानी उपकरणो, वाहनों एवं अन्य अवसंरचनात्मक सहायता के द्वारा पहचान की गई इन सीमा चौकियों को मजबूती प्रदान की गई है।**